28 अप्रैल, 2016 को कमरा नंबर 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में आयोजित की जाने वाली अनुमोदन बोर्ड की 70वीं बैठक के लिए पूरक एजेंडा

मद संख्या 70.10 : औपचारिक अनुमोदनों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विलंब से किए गए अनुरोध

(i) ग्राम जामिन पल्लावरम, ताम्बरम तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 जून, 2016 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स एसएनपी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक का नाम : मैसर्स एसएनपी इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड

क्षेत्र : आईटी / आईटीईएस

लोकेशन : ग्राम जामिन पल्लावरम, तालुक चिंगलपेट, जिला कांचीपुरम, तमिलनाडु

विस्तार : विकासक को पांच बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है, जो 24 जून, 2016 तक वैध है।

बुनियादी तथ्य : विकासक को औपचारिक अनुमोदन 25 जून 2007 को प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

2015-16 के दौरान प्रगति तथा किया गया व्यय

क्र. सं.	कार्य	व्यय
1.	ब्लाक नंबर 5 के लिए खुदाई	4.5 करोड़ रुपए
2.	ब्लाक नंबर 5 के लिए बेसमेंट	4.0 करोड़ रुपए
3.	500 मीटर के रिटेनिंग वाल का निर्माण	1.5 करोड़ रुपए
4.	परामर्शदाताओं को किया गया भुगतान	0.4 करोड़ रुपए
	कुल	10.4 करोड़ रुपए

2015 तक परियोजना में किया गया व्यय

(क) भूमि (27.51 एकड़) की लागत - 300 करोड़ रुपए
(ख) 2015 तक निर्माण लागत - 120 करोड़ रुपए
(ग) अब तक कुल व्यय (420 रुपए+10.4 रुपए) - 430.4 करोड़ रुपए

विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव की सिफारिश की है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(ii) दीमापुर, नागालैंड में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए 11 अक्टूबर 2014 के बाद एलओए की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स नागालैंड इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड से अनुरोध

विकासक का नाम : मैसर्स नागालैंड इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

क्षेत्र : कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण

लोकेशन : दीमापुर, नागालैंड

विस्तार : विकासक को चार बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है, एलओए की वैधता अवधि 11 अक्टूबर 2014 को समाप्त हो गई है।

बुनियादी तथ्य : विकासक को औपचारिक अनुमोदन 12 अक्टूबर, 2007 को प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

परियोजना के कार्यान्वयन की स्थिति :

(i)	औद्योगिक भूखंडों के लिए स्थल विकास	100 प्रतिशत
(ii)	चारदीवारी	100 प्रतिशत
(iii)	प्रशासनिक ब्लाक	100 प्रतिशत
(iv)	अतिथि गृह	100 प्रतिशत
(v)	विद्युतीकरण	80 प्रतिशत
(vi)	आंतरिक सड़कें	100 प्रतिशत
(vii)	वाटर पाइप	75 प्रतिशत
(viii)	जल शोधन संयंत्र	प्रगति पर है
(ix)	सीईटीपी	प्रगति पर है
(x)	कोल्ड स्टोरेज	प्रगति पर है
(xi)	आवासीय ब्लाक	100 प्रतिशत
(xii)	कारखाना शेड (3)	100 प्रतिशत
(xiii)	मानक डिजाइन फैक्ट्री (2)	100 प्रतिशत

विकास आयुक्त, एफएसईजेड ने वैधता अवधि समाप्त होने की तिथि से 2 साल के लिए अर्थात 12 अक्टूबर 2016 तक वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के प्रस्ताव की सिफारिश की है क्योंकि यह एनईआर में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में एक मात्र क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड है।

तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iii) ग्राम बेहरामपुर, जिला गुड़गांव, हरियाणा में इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 29 अक्टूबर, 2011 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स मिकाडो रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक का नाम : मैसर्स मिकाडो रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड

क्षेत्र : आईटी / आईटीईएस इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर

लोकेशन : ग्राम बहरामपुर, जिला गुड़गांव, हरियाणा

विस्तार : विस्तार की वैधता अवधि 29 अक्टूबर, 2011 तक थी।

बुनियादी तथ्य : विकासक को औपचारिक अनुमोदन 30 अक्टूबर, 2008 को प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

अब तक किया गया निवेश :

(क) भूमि (9.34 एकड़) की लागत : 13.00 करोड़ रुपए
(ख) पट्टा पर ली गई भूमि (16.469 एकड़) का पट्टा किराया : 31 दिसंबर 2015 तक की स्थिति के अनुसार 2535127 रुपए
(ग) अन्य अवसंरचना की लागत : 1.5 करोड़ रुपए

अपनी 68वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड ने 15 मई 2015 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में लिए गए निर्णय को निलंबित करते हुए उक्त एसईजेड के औपचारिक अनुमोदन को बहाल करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया था। औपचारिक अनुमोदन दिनांक 31 अक्टूबर 2008 की आरंभिक वैधता अवधि 29 अक्टूबर 2011 तक थी।

विकासक ने पहले सूचित किया था कि मैसर्स टाटा रियल्टी एंड इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड परियोजना का विकासक होगा और एसईजेड के विकास के लिए जिम्मेदार होगा तथा स्टैंडर्ड चार्टर्ड रियल एस्टेट इनवेस्टमेंट (सिंगापुर) 7 प्राइवेट लिमिटेड एसईजेड में एफडीआई निवेश का साझेदार होगा। विकासक ने यह भी सूचित किया था कि अंतत: मैसर्स टाटा रियल्टी एंड इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड तथा स्टैंडर्ड चार्टर्ड रियल एस्टेट इनवेस्टमेंट (सिंगापुर) 7 प्राइवेट लिमिटेड एम3एम से कंपनी का अधिग्रहण करेंगे। विकासक द्वारा सूचित किया गया था कि वाणिज्य मंत्रालय से एसईजेड की बहाली के लिए अनुमोदन प्राप्त होने के 36 माह के अंदर मिकाडो रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के अधिग्रहण की योजना बनाई गई है तथा वे उस समय शेयर के अंतरण के लिए अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करेंगे जब यह प्रक्रिया शुरू होगी।

यह भी उल्लेखनीय है कि वरिष्ठ नगर योजनाकार, हरियाणा से यह सूचित करने के लिए अनुरोध किया गया है कि क्या उक्त एसईजेड की अधिसूचित भूमि राष्ट्रीय रूपांतरण क्षेत्र (एनसीजेड) में आती है या नहीं।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने एक साल की अवधि के लिए औपचारिक अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव की सिफारिश की है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 70.11 : तीसरे साल के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) 22 मई 2016 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स टाटवा चिंतन फर्मा केम प्राइवेट लिमिटेड जो भड़ूच, गुजरात में मैसर्स दाहेज एसईजेड द्वारा विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

"क्वाटरनेरी अमोनियम, फासफोनियम, पाइरिडिनियम साल्ट, क्वाटरनेरी अमोनियम हाइड्रोआक्साइड, इलेक्ट्रोलाइट, सुपर कैपेसिटर्स" के विनिर्माण एवं निर्यात के लिए 23 मई 2011 को उपर्युक्त यूनिट को एलओपी प्रदान किया गया था। यूनिट को 3 विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 22 मई, 2015 तक है।

- **एलओपी जारी किया गया** : 23 मई 2011 को "क्वाटरनेरी अमोनियम, फासफोनियम, पाइरिडिनियम साल्ट, क्वाटरनेरी अमोनियम हाइड्रोआक्साइड, इलेक्ट्रोलाइट, सुपर कैपेसिटर्स" के विनिर्माण एवं निर्यात के लिए
- **विस्तार** : 22 मई, 2016 तक 4 (चार)
- **अनुरोध** : वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए।

यूनिट ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

यूनिट ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

(i) यूनिट ने 4 अप्रैल 2016 तक की स्थिति के अनुसार विभिन्न शीर्ष जैसे कि भूमि, भवन तथा मशीनरी एवं अन्य के लिए अग्रिम भुगतान पर 10.50 करोड़ रुपए का निवेश किया है।
(ii) पिछले विस्तार की तिथि से किया गया वृद्धिमूलक निवेश 4.5 करोड़ रुपए है।
(iii) यूनिट ने 6 माह के अंदर अर्थात 22 नवंबर 2016 तक उत्पादन की गतिविधि आरंभ करने का आश्वासन दिया है।

विकास आयुक्त, दाहेज ने छ: माह की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत है।

मद संख्या 70.12 : विविध मामले

(i) मैसर्स यूनीटेक हाइटेक स्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड से नाम बदलकर कैंडोर कोलकाता वन हाइटेक स्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड करने के लिए मैसर्स यूनीटेक हाइटेक स्ट्रक्चर्स डवलपर्स लिमिटेड जो राजरहाट, उत्तर 24 परगना जिला, पश्चिम बंगाल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में विकासक है, का अनुरोध

उपर्युक्त एसईजेड को 09 अगस्त, 2007 को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 19.58 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 28 नवंबर, 2007 को अधिसूचित किया गया था। अब यह एसईजेड क्रियाशील हो गया है।

विकासक ने सूचित किया है कि कंपनी का नाम यूनीटेक हाइटेक स्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड से बदलकर कैंडोर कोलकाता वन हाइटेक स्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड हो गया है।

शेयर होल्डिंग का मौजूदा पैटर्न :

क्र. सं.	**शेयर धारक का नाम**	**शेयरों की संख्या**	**शेयर होल्डिंग का प्रतिशत (लगभग)**
1.	माइना होल्डिंग्स लिमिटेड, मारीशस (ब्रुकफिल्ड की परोक्ष रूप से पूर्णत: स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)	51381	60.00
2.	बीएसआरईपी इंडिया आफिस होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर जो ब्रुकफिल्ड ग्रुप, न्यूयार्क की सहयोगी कंपनी है	30832	36.00
3.	मैक्सलोन लिमिटेड, साइप्रस	3426	4.00
	कुल	85639	100.00

शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के लिए वर्तमान प्रस्ताव निम्नानुसार है :

क्र. सं.	**शेयर धारक का नाम**	**शेयरों की संख्या**	**शेयर होल्डिंग का प्रतिशत (लगभग)**
1.	बीएसआरईपी इंडिया ऑफिस होल्डिंग 5 प्राइवेट लिमिटेड	85633	99.99
2.	बीएसआरईपी मून सी1 एलपी	1	0.0012
3.	बीएसआरईपी मून सी2 एलपी	1	0.0012
4.	बीएसआरईपी मून सी3 एलपी	1	0.0012
5.	बीएसआरईपी मून सी4 एलपी	1	0.0012
6.	बीएसआरईपी मून सी5 एलपी	1	0.0012
7.	बीएसआरईपी मून सी6 एलपी	1	0.0012
	कुल	85639	100

यूनीटेक हाइटेक स्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड से नाम बदलकर कैंडोर कोलकाता वन हाइटेक स्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड करने के लिए कंपनी रजिस्ट्रार, नई दिल्ली द्वारा 27 जनवरी 2016 को मंजूरी प्रदान की गई है।

विकास आयुक्त, एफएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ii) कंपनी के निदेशकों एवं शेयर होल्डिंग में परिवर्तन के लिए मैसर्स अधिकार डाटाप्रो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड जो एनएसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

उपर्युक्त यूनिट को (i) बायोमीट्रिक डिवाइस / टर्मिनल्स, (ii) आटोमेटिक फिंगरप्रिंट आइडेंटीफिकेशन सिस्टम्स / फिंगरप्रिंट, (iii) स्कैनर, (iv) मैग्नेटिक एंड आप्टिकल रीडर एवं स्कैनर, (v) इमेज कैप्चर डिवाइस और (vi) स्मार्ट कार्ड रीडर के निर्माण एवं व्यापार के लिए 20 जनवरी 2011 को एलओपी प्रदान किया गया था। अब यह यूनिट क्रियाशील हो गई है। एलओए 8 जनवरी, 2017 तक वैध है।

यूनिट अर्थात मैसर्स आचविस साफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड ने शेयर होल्डिंग के अपने पैटर्न में निम्नानुसार परिवर्तन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है :

शेयर धारक का नाम	**निदेशकों में परिवर्तन से पूर्व शेयर होल्डिंग (शेयरों की संख्या)**	**निदेशकों में परिवर्तन के बाद शेयर होल्डिंग (शेयरों की संख्या)**
श्रीमती गौरी श्रिया	42000 (84 प्रतिशत)	--
श्री आलोक मुखर्जी	8000 (16 प्रतिशत)	--
स्मार्ट चिप प्राइवेट लिमिटेड	--	49900 (99.80 प्रतिशत)
सिस्कॉम कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड	--	100 (0.20 प्रतिशत)
कुल	50000 (100 प्रतिशत)	50000 (100 प्रतिशत)

भारत में व्यवसाय करने की सरलता बढ़ाने की दृष्टि से और यह कि संस्था / व्यवसाय का पुनर्गठन बहुत आम प्रथा है, 23 फरवरी 2006 को आयोजित अपनी 69वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि नियम 74ए के प्रावधान एसईजेड की ऐसी यूनिटों पर लागू नहीं होंगे जो दूसरे व्यक्ति को अपनी परिसंपत्तियों एवं देयताओं का हस्तांतरण करके एसईजेड स्कीम से बाहर नहीं निकलती हैं या निकने का विकल्प चुनती हैं तथा एसईजेड यूनिट उपर्युक्त स्थिति में सतत सरोकार के रूप में प्रचालन करना जारी रखती है। संबंधित यूनिट अनुमोदन समिति एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 19(2) के तहत ऐसे अनुरोधों पर विचार कर सकती है।

जहां तक व्यवसाय अंतरण करार का संबंध है, स्पष्ट किया गया कि व्यवसाय अंतरण करार के फलस्वरूप वैश्विक स्तर पर कुछ अधिग्रहण होते हैं जो अधिग्रहणकर्ता को सतत सरोकार आधार पर भारतीय कंपनी की एसईजेड यूनिट के अंतरण में परिणत होता है। अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि स्वामित्व परिवर्तन करने वाले ऐसे मामलों पर निर्णय मामला दर मामला आधार पर अनुमोदन बोर्ड द्वारा मेरिट के आधार पर लिया जाएगा।

यूनिट एसईजेड से बाहर निकलने का विकल्प नहीं चुन रही है तथा शेयर होल्डिंग में 100 प्रतिशत परिवर्तन है और इस प्रकार प्रस्ताव 23 फरवरी 2016 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 69वीं बैठक द्वारा जारी किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार यूनिट अनुमोदन समिति को सौंपे गए अधिकारों के तहत शामिल नहीं है।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

यूनिट का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iii) शोलिंगनल्लूर गांव, टंबारम तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए मैसर्स इलेक्ट्रानिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड (एलकॉट) द्वारा विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स फोर्ड मोटर प्राइवेट लिमिटेड (ईएमपीएल) का अनुरोध

शोलिंगनल्लूर गांव, तंबारम तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए मैसर्स इलेक्ट्रानिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड (एलकॉट) द्वारा विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक का दर्जा प्रदान करने के लिए मैसर्स फोर्ड मोटर प्राइवेट लिमिटेड (एफएमपीएल) के प्रस्ताव को 23 फरवरी 2016 को आयोजित 69वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन मंजूरी प्रदान की गई तथा पट्टा की अवधि घटाकर 30 साल करने की शर्त रखी गई जो नवीकरणीय होगा।

90 साल की अवधि के लिए सह विकासक (एफएमपीएल) ने विकासक (एलकॉट) के साथ 17 फरवरी 2016 को पट्टा करार किया है। पट्टाधारक 1 रुपए प्रति वर्ष का भुगतान करेगा। पट्टेदार ने 13,07,00,000 रुपए प्रति एकड़ के भूमि पट्टा जमा का भुगतान किया है जो सकल रूप में 365,96,00,00 रुपए है। इसके अलावा सह विकासक ने राज्य सरकार से पट्टा की अवधि 99 साल से घटाकर 30 साल करने के लिए अनुमोदन बोर्ड की शर्त हटाने के लिए अनुरोध किया है।

एफएमपीएल ने अब अनुरोध किया है कि 30 साल के स्थान पर 99 साल के लिए उसे सह विकासक का दर्जा प्रदान किया जा सकता है जो केवल केरल राज्य में स्थित एसईजेड परियोजनाओं के संबंध में 19 मई 2015 को आयोजित 65वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है तथा अन्य सभी मामलों में पट्टा की अवधि अधिक से अधिक 30 साल (नवीकरणीय) बनी रहेगी ताकि यह भूमि की पट्टा अवधि के साथ समाप्त हो सके। तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रस्ताव की सिफारिश की गई है।

यूनिट का प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iii) सह विकासक का नाम मैसर्स इंडियाबुल्स इनफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड से बदलकर मैसर्स आईआईसी लिमिटेड करने तथा शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के लिए मैसर्स इंडियाबुल्स इनफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड जो सिन्नार एमआईडीसी, नासिक, महाराष्ट्र में मैसर्स इंडियाबुल्स इंडस्ट्रियल इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक है, का प्रस्ताव

मैसर्स इंडियाबुल्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड को उपर्युक्त एसईजेड में अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने के लिए 16 जून, 2010 को सह विकासक का दर्जा प्रदान किया गया था।

सह विकासक ने अनुरोध किया है कि सह विकासक का नाम मैसर्स इंडियाबुल्स इनफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड से बदलकर मैसर्स आईआईसी लिमिटेड किया जाए और शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन किया जाए।

आईआईसी लिमिटेड की शेयर होल्डिंग का पैटर्न (18 दिसंबर 2015 तक की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	नाम	10 रुपए प्रत्येक के इक्विटी शेयरों की कुल संख्या	प्रतिशत
1.	राजीव रत्तन	62,500	0.43
2.	कोरस पावर लिमिटेड	37,08,736	25.28

3.	प्रियापुस डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (पीडीपीएल)	22,40,426	15.27
4.	अक्षित पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	72,96,374	47.71
5.	एल्लेरी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड	13,65,442	9.31
6.	श्री राहुल गोछवाल (पीडीपीएल के नामिती के रूप में)	1	0.00
7.	श्री हितेंद्र कुमार (पीडीपीएल के नामिती के रूप में)	1	0.00
	कुल	1,46,73,480	100.00

मैसर्स इंडियाबुल्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड की शेयर होल्डिंग का पैटर्न (20 जून, 2011 तक की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	नाम	10 रुपए प्रत्येक के इक्विटी शेयरों की कुल संख्या	प्रतिशत
1.	श्री समीर गेहलौत	24,998	0.98
2.	श्री राजीव रत्तन	12,499	0.49
3.	श्री सौरभ कुमार मित्तल	12,499	0.49
4.	श्री सुरेश कुमार जैन (समीर गेहलौत के नामिती के रूप में)	1	0.00
5.	श्री अशोक कुमार शर्मा (समीर गेहलौत के नामिती के रूप में)	1	0.00
6.	श्री हितेंद्र कुमार (राजीव रत्तन के नामिती के रूप में)	1	0.00
7.	श्री सतीश चंद (सौरभ कुमार मित्तल के नामिती के रूप में)	12,50,000	49.02
8.	इनुस इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	6,25,000	24.51
9.	हेस्पेरा रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड	6,25,000	24.51
10	प्रियापुस डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	6,25,000	24.51
	कुल	25,50,000	100.00

कंपनी रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा द्वारा 11 मार्च 2010 को सह विकासक का नाम इंडियाबुल्स इनफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड से बदलकर आईआईसी लिमिटेड करने के लिए मंजूरी प्रदान की गई है।

प्रस्ताव भेजने में विलंब का कोई कारण प्रदान नहीं किया गया है।

विकास आयुक्त, एसईईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iv) रक्षा उत्पादों के लिए औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के लिए मैसर्स रिलायंस डिफेंस लिमिटेड का आवेदन

विचाराधीन प्रस्ताव नीचे उल्लिखित रक्षा उत्पादों के निर्माण के लिए मैसर्स रिलायंस डिफेंस लिमिटेड जो एसईजेड यूनिट है, को औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने के लिए है।

क्र. सं.	कंपनी का नाम	एबिज़ एप्लायंस संख्या	स्थान	विनिर्माण की मद	प्रस्तावित वार्षिक क्षमता
1.	मैसर्स रिलायंस लैंड सिस्टम्स लिमिटेड	जीवी 2375	पीतमपुर एसईजेड, अकोलिया, धाड़, मध्य प्रदेश	निम्नलिखित का विनिर्माण : • टैंक सहित ग्राउंड वेहिकल, आर्मर्ड वेहिकल, इनफैंट्री कॉम्बैट वेहिकल, आर्मर्ड पर्सोनल कैरियर। • बैलिस्टिक संरक्षण लेवल 3 तथा अधिक प्रदान करने के लिए कंपोनेंट लगे सभी व्हील्ड ड्राइव वेहिकल। • सैन्य प्रयोग के लिए एंफिबियस वेहिकल।	100 150 50
2.	मैसर्स रिलायंस लैंड सिस्टम्स लिमिटेड	जेडजी 8110	पीतमपुर एसईजेड, अकोलिया, धाड़, मध्य प्रदेश	सभी प्रकार के गोलाबारूद एवं फ्यूज का निर्माण	500
3.	मैसर्स रिलायंस लैंड सिस्टम्स लिमिटेड	जीएल 8981	पीतमपुर एसईजेड, अकोलिया, धाड़, मध्य प्रदेश	रिवाल्वर, शॉट गन, लाइट मशीनगन, पिस्टल सहित छोटे हथियारों का निर्माण।	500
4.	मैसर्स रिलायंस एसईजेड लिमिटेड	आरपी 4362	पीतमपुर एसईजेड, अकोलिया, धाड़, मध्य प्रदेश	निर्देशित एनर्जी वेपन, टार्गेट नष्ट करने के लिए लेजर, हाई वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी वेपन सिस्टम तथा संबद्ध उपकरण, टार्गेट नष्ट करने के लिए पार्टिकल बीम सिस्टम का निर्माण।	400
5.	मैसर्स रिलायंस लैंड सिस्टम्स लिमिटेड	एमआई 4875	पीतमपुर एसईजेड, अकोलिया, धाड़, मध्य प्रदेश	सभी कैलिबर के भारी हथियारों (आर्टिलरी गन, एडी गन, मार्टार, रॉकेट लांचर) का निर्माण।	100
6.	मैसर्स रिलायंस अनमैन्ड सिस्टम्स लिमिटेड	ईक्यू 1032	पीतमपुर एसईजेड, अकोलिया, धाड़, मध्य प्रदेश	हवाई वाहन से हल्के मानव रहित दूर से चालित वाहन (आरपीवी) का निर्माण।	100
7.	मैसर्स रिलायंस एसईजेड लिमिटेड	ईवाई 5946	पीतमपुर एसईजेड, अकोलिया, धाड़, मध्य प्रदेश	इलेक्ट्रानिक काउंटर मेजर (ईसीएम) तथा इलेक्ट्रानिक काउंटर काउंटर मेजर (ईसीसीएम) के लिए प्रयुक्त इलेक्ट्रानिक उपकरण सहित इलेक्ट्रानिक वारफेयर सिस्टम का निर्माण।	100
8.	मैसर्स रिलायंस लैंड सिस्टम्स लिमिटेड	यूवाई 9986	पीतमपुर एसईजेड, अकोलिया, धाड़, मध्य प्रदेश	विस्फोटक डिवाइसों जैसे कि बम, सुरंग, राकेट, प्रोपेलैंट / चार्ज सिस्टम, चार्ज के लिए दहनशील केस, बमलेट, माइनलेट, टर्मिनली गाइडेड प्रोजेक्टाइल तथा कार्गो प्रोजेक्टाइल सहित सब म्यूनिशंस का निर्माण।	500

9.	मैसर्स रिलायंस एसईजेड लिमिटेड	वाईएम 1722	पीतमपुर एसईजेड, अकोलिया, धाड़, मध्य प्रदेश	रडार के उपकरणों (वेपन लोकेटिंग रडार सहित रडार, जैमर) का निर्माण	100
10.	मैसर्स रिलायंस नेवल सिस्टम्स लिमिटेड	वाईओ 0871	मिहान एसईजेड, नागपुर	अंडरवाटर वीपंस की डिजाइन, विकास और निर्माण : • टॉर्पेडो / राकेट / एयूवी • लांचर / ग्राउंड कंट्रोल एवं सपोर्ट उपकरण।	100 50
11.	मैसर्स रिलायंस नेवल सिस्टम्स लिमिटेड	जीई 9890	मिहान एसईजेड, नागपुर	हुल माउंटेड सोनार, टोड एरे सोनार और माइन वारफेयर सिस्टम का निर्माण।	8
12.	मैसर्स रिलायंस नेवल सिस्टम्स लिमिटेड	ओआई 4314	मिहान एसईजेड, नागपुर	• इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम की डिजाइन, विकास एवं निर्माण। • सी41 सिस्टम की डिजाइन एवं विकास।	616 12
13.	मैसर्स रिलायंस एसईजेड लिमिटेड	आईडब्ल्यू 7274	मिहान एसईजेड, नागपुर	रिकार्डर एवं इमेज प्रोसेसिंग, इमेज इंटेंसीफायर, इनफ्रारेड, इमेजिंग रडार सेंसर इक्विपमेंट का निर्माण।	100
14.	मैसर्स रिलायंस एसईजेड लिमिटेड	जीजे 0716	मिहान एसईजेड, नागपुर	थल, जल तथा वायु जनित प्लेटफार्म के लिए संचार सिस्टम का निर्माण।	200
15.	मैसर्स रिलायंस एसईजेड लिमिटेड	आरएस 1900	मिहान एसईजेड, नागपुर	विमानन, जल एवं थल सिस्टम के लिए सी41 सिस्टम की डिजाइन, विकास एवं निर्माण।	4
16.	मैसर्स रिलायंस डिफेंस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	एक्सयू 5697	मिहान एसईजेड, नागपुर	इलेक्ट्रानिक फ्यूज तथा संबद्ध उप प्रणालियों का निर्माण / संयोजन / एकीकरण।	100000

2. प्रस्ताव की सिफारिश करने वाले निम्नलिखित विभागों / राज्य सरकारों की टिप्पणियां नीचे दी गई हैं :

(1) रक्षा उत्पादन विभाग	लाइसेंस प्रदान करने की मानक शर्तों एवं नियमों तथा रक्षा क्षेत्र पर लागू एफडीआई नीति के वर्तमान दिशानिर्देशों के अधीन सिफारिश की गई है। कंपनी को डीडीपी के सुरक्षा मैनुअल में उल्लिखित श्रेणी 'ए' के लिए सुरक्षा के दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।
(2) गृह मंत्रालय (एमएचए)	गृह मंत्रालय ने रक्षा उत्पादन विभाग को संबोधित अपने कार्यालय ज्ञापन दिनांक 15 दिसंबर 2015 की प्रति अग्रेषित की है जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के मुख्य पैरामीटरों के संबंध में उपर्युक्त संस्थाओं के संबंध में सुरक्षा स्वीकृति प्रदान किए जाने की सूचना प्रदान की गई है। तथापि, आर्थिक सुरक्षा के आकलन के लिए 3 इनपुट प्रदान किए गए हैं जो अनुबंध 1 के रूप में संलग्न हैं।
(3) महाराष्ट्र सरकार	इस शर्त के अधीन सिफारिश की गई है कि : (i) यूनिट को परियोजना को लागू करने के लिए प्रारंभिक कदम उठाने से पूर्व तथा उत्पादन शुरू करने के समय पर राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के सभी कानूनों तथा केन्द्र सरकार / राज्य सरकार के विभागों से अपेक्षित किसी अन्य स्वीकृति तथा सभी

	अपेक्षित कानूनों / अधिनियमों / नियमावली / अनुमति के अधीन काम करना होगा। (ii) परियोजना लागू करने के लिए प्रारंभिक कदम उठाने से पूर्व तथा उत्पादन शुरू करने के समय पर भी यूनिट को स्थानीय व्यक्तियों को 80 प्रतिशत रोजगार देना होगा।
(4) मध्य प्रदेश सरकार	संस्तुत की है।

एमएसएमई तथा डीजीसीए से टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई हैं।

विकास आयुक्त की सिफारिशें : विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड और विकास आयुक्त, आईएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

उपर्युक्त के आधार पर उपर्युक्त ब्यौरे के अनुसार रक्षा उत्पादों के निर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने के लिए मैसर्स रिलायंस डिफेंस लिमिटेड के प्रस्ताव विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत हैं।

मद संख्या 70.13 : औपचारिक अनुमोदनों को निरस्त करना

क्रम संख्या	विकासक / सह विकासक का नाम	क्षेत्र	औपचारिक अनुमोदन की तारीख	क्षेत्र	अभ्युक्तियां
1.	मैसर्स लैंको सोलर प्राइवेट लिमिटेड (ग्राम रामदासपुर, कटक, ओडिशा)	सोलर पीवी	31 दिसंबर, 2009	एफएसईजेड	विकासक को प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 31 दिसंबर, 2014 को समाप्त हो गई है। विकास आयुक्त, एफएसईजेड ओडिशा सरकार को उनकी सिफारिश के लिए पत्र भेजा था परंतु अभी तक कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। विकासक ने यह भी सूचित किया है कि वे अपनी परियोजना को लागू करने में इसलिए समर्थ नहीं हैं क्योंकि राज्य वन्य जीव स्वीकृति बोर्ड / राज्य सरकार के पास वन्य जीव स्वीकृति काफी समय से लंबित है तथा उनकी स्वीकृति के बगैर वे मेल दिनांक 19 फरवरी 2015 के माध्यम से इस संबंध में कोई कदम उठाने के लिए अधिकृत नहीं हैं। विकास आयुक्त, एफएसईजेड द्वारा एसईजेड के स्टेटस के संबंध में उद्योग विभाग, ओडिशा सरकार तथा एसईजेड विकासक के साथ बार बार अनुस्मारक / पत्राचार के बावजूद अभी तक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। विकास आयुक्त ने औपचारिक अनुमोदन को निरस्त करने की सिफारिश की है।

मद संख्या 70.14 : सैद्धांतिक अनुमोदन का निरसन

क्रम संख्या	विकासक / सह विकासक का नाम	क्षेत्र	सैद्धांतिक अनुमोदन की तिथि	क्षेत्र	अभ्युक्तियां
1.	मैसर्स पोस्को इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जगतसिंहपुर जिला, ओडिशा)	बहु उत्पाद	26 अक्टूबर, 2006	एफएसईजेड	विकासक को प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 अक्टूबर, 2014 को समाप्त हो गई है। विकासक ने वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए कोई आवेदन नहीं किया है। इसके अलावा मामले के स्टेटस का सुनिश्चय करने के लिए मामला राज्य सरकार को भी भेजा गया परंतु ओडिशा सरकार, इडको तथा विकासक से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। विकास आयुक्त, एफएसईजेड ने सैद्धांतिक अनुमोदन को निरस्त करने की सिफारिश की है।

मद संख्या 70.15 : अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील

(i) यूनिट अनुमोदन समिति के आदेश दिनांक 18 अगस्त 2015 के विरुद्ध मैसर्स शहतूतवाले इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो नोएडा एसईजेड की यूनिट है, की अपील

09 अक्टूबर, 2015 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 67वीं बैठक में उक्त प्रस्ताव पर विचार किया गया था। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने अपीलकर्ता को निदेश दिया कि वे विकास आयुक्त को एसईजेड एवं डीटीए यूनिटों के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करें तथा विकास आयुक्त, एनएसईजेड को यूनिट का औपचारिक निरीक्षण करने तथा यूनिट में किए गए निवेश, उक्त यूनिट में लगाए गए प्लांट एवं मशीनरी और शुरुआती एलओपी प्रदान किए जाने के बाद यूनिट के निष्पादन पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया। अनुमोदन बोर्ड ने तद्नुसार अपील पर निर्णय को आस्थगित कर दिया।

तद्नुसार विकास आयुक्त, एनएसईजेड द्वारा एक समिति का गठन किया गया और 20 अक्टूबर 2015 को प्लाट नंबर 53, एनएसईजेड का दौरा किया और समिति के निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए जो इस प्रकार हैं :

"यूनिट पर ताला लगा था, यूनिट के प्रबंधक श्री बसंत कुमार को ताला खोलने के लिए बुलाया गया ताकि अनुमोदन बोर्ड को प्रस्तुत करने के लिए सूचना एकत्र करने के लिए उनकी यूनिट का दौरा किया जा सके। यह भी पाया गया कि एक भी मशीन प्रचालन मोड में नहीं थी।" यूनिट के प्रतिनिधि से संगत रजिस्टर / दस्तावेज आदि प्रस्तुत करने के लिए कहा गया ताकि प्लांट एवं मशीनरी के इंस्टालेशन की तिथि का सुनिश्चय किया जा सके। उसने बताया कि यूनिट में कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। पत्र एवं ईमेल दिनांक 30 अक्टूबर 2015 के माध्यम से यूनिट से अनुरोध किया गया कि वे संगत दस्तावेजों के साथ 2 नवंबर 2015 को अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें। तथापि, 2 नवंबर 2015 को कोई नहीं आया और इसलिए प्लांट एवं मशीनरी लगाने की तिथि के संबंध में प्रासंगिक ब्यौरों का पता नहीं चल सका।

यूनिट ने अपने पत्र दिनांक 5 नवंबर 2015 के माध्यम से विकास आयुक्त, एनएसईजेड से सभी सूचना प्रस्तुत करने के लिए दो सप्ताह का समय प्रदान करने का अनुरोध किया है। विकास आयुक्त के पत्र दिनांक 23 दिसंबर 2015 के माध्यम से यूनिट से एनएसईजेड यूनिट तथा डीटीए यूनिट के संबंध में अलग अलग कंपनी का विधिवत रूप से लेखा परीक्षित तुलन पत्र तथा एनएसईजेड यूनिट में लगाए गए प्लांट एवं मशीनरी का रिकार्ड प्रस्तुत करने के लिए पुन: कहा गया। यूनिट ने अपने पत्र दिनांक 6 जनवरी 2016 के माध्यम से मैसर्स डिजाइन प्रोडक्ट लिमिटेड के नाम में वर्ष 2003 से 2004, 2005 से 2006 से 2011 से 2012 के लिए तुलन पत्र की प्रतियां तथा मैसर्स शहतूतवाले इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम में वर्ष 2014-15 के लिए तुलन पत्र प्रस्तुत किया है। यूनिट ने यह भी बताया है कि मई / जून 2015 में भेजने के लिए उनके पास निर्यात आर्डर थे। तथापि, चूंकि उनका एलओए मान्य नहीं था इसलिए उन्हें अपनी डीटीए यूनिट से उसका निर्यात करना पड़ा। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि वित्त वर्ष 2007-08 की लेखा बहियों में प्लांट एवं मशीनरी के ब्यौरे उपलब्ध हैं। 185 लाख रुपए मूल्य के कार्यालय उपकरणों सहित प्लांट एवं मशीनरी के मूल्य को छोड़कर प्लांट एवं मशीनरी का ब्यौरा संलग्न नहीं पाया गया।

समिति ने यूनिट द्वारा प्रस्तुत बिंदुवार रिपोर्ट / जवाब को संतोषप्रद एवं पूर्ण नहीं पाया (अनुबंध 2)। इस समय प्लाट नंबर 53, एनएसईजेड के संबंध में यूनिट के विरुद्ध 1141205 रुपए का पट्टा किराया (मार्च 2016 तक) बकाया है।

अपीलकर्ता ने पत्र दिनांक 5 अप्रैल 2016 के माध्यम से उपर्युक्त अस्वीकृति के विरुद्ध वर्तमान अपील की है तथा निजी सुनवाई के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अनुरोध को रखने का अनुरोध किया है (अनुबंध 3)।

अपील विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

******